भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2361

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

असंगठित क्षेत्र में अटल पेंशन योजना का कार्यान्वयन

†2361. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक नामांकित अभिदाताओं की सकल संख्या के साथ नामांकित महिला अभिदाताओं की संख्या राज्य-वार और विशेष रूप से कर्नाटक के लिए जिला-वार कितनी है;

(ग) क्या इस योजना में, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी सहित, अपनी शुरुआत के बाद से एक दशक में नामांकन में लगातार वृद्धि देखी गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के तहत कुल संचयी कायिक निधि कितनी है;

(ङ) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा इससे जुड़ी गतिविधियों में लगे लोगों के बीच जागरूकता और नामांकन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या बैंक और डाकघर बचत खातों के माध्यम से नामांकन किया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत दिनांक 09.05.2015 को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना 18-40 वर्ष की आयु के बीच के भारत के उन सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए गारंटीकृत पेंशन की बेहतर उपलब्धता हेतु, एक आयकर दाता दिनांक 01.10.2022 से एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। इस योजना में प्रति माह 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4000 रुपये और 5,000 रुपये की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन का विकल्प प्रदान किया गया है और तदनुसार शामिल होने की आयु और चयन की गई पेंशन राशि के आधार पर प्रति माह सदस्यता राशि 42 रुपये से 1454 रुपये के बीच होती है। अभिदाताओं की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं, बशर्ते कि उस आयु तक सभी देय योगदान किए गए हों।

(ख): दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार, एपीवाई की शुरुआत से इसके अंतर्गत सकल नामांकन 9,29,47,723 हैं, जिनमें से 4,56,98,133 महिलाएं हैं। योजना की शुरुआत से, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत देश में राज्यवार सकल नामांकन और कर्नाटक राज्य के लिए जिला-वार सकल नामांकन का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग): इस योजना की शुरुआत से, एक दशक के दौरान नामांकन में सतत वृद्धि देखी गई है, जिसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी शामिल है। इसका ब्यौरा अनुबंध III में हैं।

(घ): दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार, एपीवाई के अंतर्गत प्रबंधनाधीन आस्ति लगभग 57,296 करोड़ रुपये है।

(ङ): सरकार तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत व्यक्तियों सहित देश भर में एपीवाई की जागरूकता और कवरेज को बढ़ाने के लिए, अन्य उपायों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय किए हैः-

i. एपीवाई अभिदाता के लिए हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
ii. अखिल भारतीय स्तर पर बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) / अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) के समन्वय से नियमित रूप से एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
iii. योग्य लाभार्थियों के बीच एपीवाई का प्रचार करने के लिए बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) और बैंकों के फील्ड स्टाफ, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की बैंक सखियों के लिए वर्चुअल क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
iv. जागरूकता सृजित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में समय-समय पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।
v. एपीवाई अभिदाता सूचना पुस्तिका (सूचना ब्रोशर) 13 भाषाओं में उपलब्ध है।
vi. निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के संबंध में बैंकों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) / बैंकों के राज्य-समन्वयकों / अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की नियमित निगरानी की जाती है।
vii. एपीवाई-सेवा प्रदाताओं / एसएलबीसी / संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समितियों (यूटीएलबीसी) / एलडीएम के साथ कार्य निष्पादन संबंधी समीक्षा बैठकें की जाती हैं।
viii. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और एसआरएलएम, एपीवाई की जागरूकता और कवरेज को फैलाने में कार्यरत हैं।
ix. पीएफआरडीए और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) / पीएफआरडीए का समर्पित एपीवाई कॉल सेंटर है।
x. एपीवाई अभिदाताओं के लिए चैटबॉट का विकल्प मौजूद है।

(च): यह योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों को कवर करते हुए पूरे देश में लागू की गई है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, सहकारी बैंकों और डाक विभाग सहित बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुबंध I

"असंगठित क्षेत्र में अटल पेंशन योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2361 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध I

अटल पेंशन योजना की शुरुआत से दिनांक 30.06.2026 तक, महिला अभिदाताओं की संख्या के साथ एपीवाई के अंतर्गत राज्य-वार सकल नामांकन

राज्य का नाम	महिला	सकल नामांकन
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7,090	16,696
आंध्र प्रदेश	28,09,212	46,10,043
अरुणाचल प्रदेश	22,150	45,377
असम	13,39,456	22,87,880
बिहार	49,93,649	85,36,014
चंडीगढ़	35,280	93,243
छत्तीसगढ़	9,87,866	18,39,375
दिल्ली	4,45,012	11,24,049
गोवा	53,842	1,35,538
गुजरात	10,86,880	33,59,551
हरियाणा	8,29,533	21,17,638
हिमाचल प्रदेश	2,75,560	6,91,716
जम्मू और कश्मीर	1,06,101	3,16,130
झारखंड	18,29,743	31,34,717
कर्नाटक	25,10,470	52,72,744
केरल	10,00,544	18,59,757
लद्दाख	2,834	8,101
लक्षद्वीप	1,560	4,080
मध्य प्रदेश	29,13,243	57,56,238
महाराष्ट्र	29,17,072	65,60,192
मणिपुर	43,522	82,004
मेघालय	59,811	1,07,165
मिजोरम	23,515	43,810
नागालैंड	23,942	48,612
ओडिशा	20,54,962	36,68,657
पुडुचेरी	68,215	1,20,557
पंजाब	11,52,592	27,92,918
राजस्थान	19,24,071	49,94,930
सिक्किम	23,898	50,892
तमिलनाडु	34,62,320	60,62,042
तेलंगाना	15,39,451	29,13,708
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	8,950	47,749
त्रिपुरा	1,97,849	3,56,337
उत्तर प्रदेश	62,61,681	1,54,21,181
उत्तराखंड	3,96,245	10,01,376
पश्चिम बंगाल	42,90,012	74,66,706
कुल योग	**4,56,98,133**	**9,29,47,723**

स्रोत: पीएफआरडीए

अनुबंध II

"असंगठित क्षेत्र में अटल पेंशन योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2361 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II

अटल पेंशन योजना की शुरुआत से दिनांक 30.06.2026 तक, कर्नाटक राज्य में महिला अभिदाताओं की संख्या के साथ एपीवाई के अंतर्गत जिले-वार सकल नामांकन

कर्नाटक के जिले का नाम	महिला	सकल नामांकन
बेंगलुरु शहरी	3,03,774	7,17,587
बेलगावी	1,92,262	4,16,092
मैसूर	1,38,835	2,62,995
दक्षिण कन्नड़	99,536	2,22,182
कलबुर्गी	1,07,199	2,14,331
तुमकुरु	1,05,152	1,90,978
विजयपुरा	78,233	1,74,792
धारवाड़	80,662	1,73,518
हसन	85,054	1,69,534
बागलकोट	70,695	1,62,055
शिवमोग्गा	79,584	1,58,401
चित्रदुर्ग	81,473	1,57,570
रायचूर	70,160	1,55,131
हावेरी	67,309	1,54,329
उडुपी	73,092	1,54,430
मांड्या	72,844	1,49,766
दावनगेरे	74,500	1,50,346
बेल्लारी	70,357	1,50,187
उत्तर कन्नड़	71,539	1,41,052
बीदर	73,880	1,34,670
चिक्कमंगलूर	57,798	1,19,255
कोप्पल	53,996	1,18,957
कोलार	57,056	1,14,014
गदग	50,042	1,10,797
विजयनगर	48,476	1,03,795
बेंगलुरु ग्रामीण	49,056	1,00,557
यादगीर	39,873	86,599
चिक्काबल्लापुरा	43,670	85,453
रामनगर	39,486	81,614
चामराजनगर	43,777	80,183
कोडागु	31,100	61,574
कुल योग	**25,10,470**	**52,72,744**

स्रोत: पीएफआरडीए

अनुबंध III

"असंगठित क्षेत्र में अटल पेंशन योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 03.08.2026 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2361 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध III

शुरुआत से एपीवाई के अंतर्गत नामांकन

वित्तीय वर्ष	**महिला**	**नामांकन**
2015-16	9,42,244	24,84,895
2016-17	8,92,846	23,98,934
2017-18	20,51,246	48,21,632
2018-19	25,83,404	57,12,824
2019-20	31,50,428	68,83,373
2020-21	35,98,906	79,14,142
2021-22	45,86,500	99,11,479
2022-23	57,83,964	1,19,31,385
2023-24	63,90,998	1,22,93,490
2024-25	64,14,051	1,17,38,327
2025-26	74,47,015	1,35,13,713
2026-27 (दिनांक 30.06.2026 तक)	18,56,531	33,43,529
कुल योग	**4,56,98,133**	**9,29,47,723**

स्रोत: पीएफआरडीए
